आदेश

उपायुक्त, रोहतक के पत्र कमांक 948/पं0 दिनांक 03.03.2025 द्वारा की गई सिफारिश अनुसार ग्राम पंचायत गद्दी खेडी, खण्ड व जिला रोहतक के सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठकों में पंचों द्वारा भाग नहीं लेने तथा विकास कार्यों में सहयोग एंव रुचि नहीं लिये जाने के फलस्वरुप ग्रामवासियों के हित में ग्राम पंचायत गद्दी खेडी के रुके हुये विकास कार्यों को सुचारु रुप से चलाने के लिए खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, रोहतक को आगामी आदेशों तक हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 49 में वर्णित प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत गद्दी खेडी का प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

अमित कुमार अग्रवाल, आई0ए0एस0
आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग,

चण्डीगढ़, दिनांक
17.04.2025

पृ0 क्रमांक ई0सी0ए02—2025/19632-37 दिनांक :28.4.25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः—

1. उपायुक्त, रोहतक को उनके सिफारिश पत्र कमांक 948/पं0 दिनांक 03.03.2025 के संदर्भ में एवं ग्रामवासियों के हित के मद्देनजर ग्राम पंचायत गद्दी खेडी में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक को प्रशासक नियुक्त करते हुए आपको लिखा जाता है कि बैठक में भाग नहीं लेने एंव ग्राम पंचायत के विकास कार्यो को सुचारु रुप से चलाने में सहयोग एवं रुचि नहीं लेने वाले पंचों के विरुद्व विधिवत् रुप में नियमानुसार बनती कार्यवाही अमल में लाई जाए।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रोहतक।
4. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।
5. कार्यकारी अभियन्ता(आई0टी0) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर आदेश को अपलोड करने हेतू।
6. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।

28.04.2025

Mohit

अधीक्षक (चुनाव)
कृतेः आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।